भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

No. AA/SCY/AGM 56 Date: 19th September, 2020

BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street Fort,
MUMBAI – 400001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI – 400051

Dear Sirs,

Sub: Published Addendum to the Notice of 56th AGM

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the addendum to the Notice of 56th AGM of BHEL regarding appointment of Shri Amit Mehta as Director inline with Rule 13 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, published in "Business Standard" newspaper (Delhi), English & Hindi editions on 19th September, 2020.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Rajeev Kalra)
Company Secretary
shareholderquery@bhel.in

Encl: As above

Published in "Business Standard", Delhi (Hindi) on 19.09.2020

बी एच ई एल

BHEL

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1964GOI004281
पंजीकृत कार्यालय: "बीएचईएल हाउस" सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049
फोन : 011-66337000, फैक्स: 011-66337428
वेबसाइट: www.bhel.com, ईमेल: shareholderquery@bhel.in

बीएचईएल की 56वीं एजीएम की सुचना हेतु परिशिष्ट

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को बीएचईएल के निदेशक मंडल में अपर निदेशक श्री अमित मेहता से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन एक सूचना दिनांक सितंबर 11, 2020 को प्राप्त हुई है, जो कंपनी की आगामी 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), जो **सोमवार, दिनांक 28 सितंबर, 2020 को प्रातः 10 बजे IST** पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (वीसी) के द्वारा आयोजित की जा रही है, उसमें निदेशक के पद हेतु निर्वाचन के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया गया है।

निदेशक के पद पर श्री अमित मेहता की नियुक्ति के प्रस्ताव शेयरधारकों के विचारार्थ एजीएम के विशेष कार्य के तौर पर निम्न वर्णित के अनुसार सामान्य प्रस्ताव के रूप में लिया जायेगाः

मद सं 10— श्री अमित मेहता (DIN: 08859397) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्न प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में विचार करना एवं अगर उपयुक्त पाया गया तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

> ''प्रस्ताव दिया जाता है कि श्री अमित मेहता (DIN: 08859397) जिन्हें कम्पनी के अंतर्नियम के नियम 67 (iv) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार दिनांक 02.09.2020 से इस एजीएम की तिथि तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और जिनके पक्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अन्तर्गत कम्पनी ने स्वंय निदेशक से लिखित रूप में सुचना प्रप्त की है, फलस्वरूप जिन्हें एतदद्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण

श्री अमित मेहता (DIN: 08859397), उम्र 56 वर्ष, बीएचईएल के निदेशक मंडल में 2 सितंबर, 2020 को अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये थे।

वर्तमान में वह भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। श्री अमित मेहता ने आईआईटी रुड़की से अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

भारी उद्योग विभाग में पदासीन होने से पहले, वह उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे जहाँ उन्होंने उपभोक्ता सुरक्षा, उपभोक्ता सुरक्षा एक्ट एवं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से संबंधित नीतिगत मामलों को संबोधित किया था।

वह भारतीय आयुध निमार्णियाँ सेवा में मई 1988 को सम्मिलित हुए। आयुध निमार्णियाँ के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रभागों में काम किया है और उत्पादन, योजना, गुणवत्ता नियंत्रण, रखरखाव और सार्वजनिक खरीद से संबंधित क्षेत्रों में काम करने का समृद्ध अनुभव है। वह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत रहें है।

भारत सरकार द्वारा बीएचईएल के निदेशक मंडल में नामित होने के कारण, श्री अमित मेहता को बीएचईएल से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है।

श्री अमित मेहता बीएचईएल के शेयरधारक नहीं हैं और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों / प्रबंधक / विशेष प्रबंधन कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री अमित मेहता ने वित्त वर्ष 2020–21 में अपनी नियुक्ति की तिथि के बाद आयोजित एक निदेशक मंडल की बैठक में भाग लिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 एवं कम्पनी के अन्तर्नियम के अधिनियम 67 (iv) के आधार पर श्री अमित मेहता वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारित रहेंगे और नियुक्ति हेतु उपयुक्त होंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार, कंपनी ने श्री अमित मेहता कंपनी के निदेशक के रूप में उम्मीदवारी के प्रस्ताव की सुचना को लिखित रूप में प्राप्त किया है।

श्री अमित मेहता (जिनकी नियुक्ति की जा रही है), के अलावा कंपनी के किसी भी निदेशक तथा विशेष प्रबंधन कार्मिकों और उनके संबंधी का मद सं. 10 में उल्लिखित प्रस्ताव में वित्तीय अथवा अन्य प्रकार का कोई सरोकार अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः सितंबर 18, 2020

1. 56वीं एजीएम की सूचना उपरोक्त परिशिष्ट जो व्याख्यात्मक विवरण के साथ है, कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) और कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड़ की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उनके समायोजित नियमों के अनुकुल, सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा दिनांक 5 मई, 2020 एवं सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसार शेयरधारक रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली द्वारा इस प्रस्ताव पर अपना वोट दे सकेंगे।

Published in "Business Standard", Delhi (English) on 19.09.2020

बी एच ई एल
BHEL

Bharat Heavy Electricals Limited
CIN: L74899DL1964GOI004281
Registered Office: "BHEL House", Siri Fort, New Delhi-110049
Phone: 011-66337000, Fax: 011-66337428
Website: www.bhel.com, Email: shareholderquery@bhel.in

ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 56th AGM OF BHEL

Pursuant to Rule 13 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, notice is hereby given that the Company has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 on September 11, 2020, proposing candidature of Shri Amit Mehta, Additional Director on the Board of BHEL for election to the office of Director in the ensuing 56th Annual General Meeting (AGM) of the Company, scheduled to be held on **Monday, September 28, 2020 at 10 A.M. IST** through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC).

The resolution for appointment of Shri Amit Mehta for the office of Director will be taken up for consideration of the members as part of the Special Business of the AGM, in the form of an ordinary resolution, as set forth below:

Item No. 10- Appointment of Shri Amit Mehta (DIN: 08859397) as Director

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

> "RESOLVED THAT Shri Amit Mehta (DIN: 08859397), who was appointed as an Additional Director pursuant to Article 67 (iv) of the Articles of Association of the Company read with Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 w.e.f. 02.09.2020 to hold Office upto the date of this Annual General Meeting and in respect of whom, the Company has received a notice in writing, from the Director himself pursuant to the provisions of Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as a Director of the Company."

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Shri Amit Mehta (DIN: 08859397), aged 56 years, was inducted as Part-time Official Director on the Board of BHEL w.e.f. September 2, 2020.

He is presently posted as Joint Secretary in the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. Shri Amit Mehta holds a Bachelor Degree in Mechanical Engineering from IIT Roorkee.

Prior to his present posting in the Department of Heavy Industry, he was Joint Secretary in the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, where he dealt with issues related to consumer protection, policy matters related to the Consumer Protection Act and the Legal Metrology Act.

He joined the Indian Ordnance Factories Service in May 1988. During his tenure in the Ordnance Factories, he has worked in various Divisions at various levels and has a rich experience of working in areas related to Production, Planning, Quality Control, Maintenance and Public Procurement. He has also worked as Director in the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.

Being a Government of India nominee on the Board of BHEL, Shri Amit Mehta does not receive any remuneration from BHEL.

Shri Amit Mehta does not hold any shares in BHEL and he does not have any relationship with other Directors/ Manager/ Key Managerial Personnel of the Company.

Shri Amit Mehta has attended one Board Meeting which was held after the date of his appointment in FY 2020-21.

By virtue of Section 161 of the Companies Act, 2013 read with Article 67(iv) of the Articles of Association of the Company, Shri Amit Mehta holds office till the date of ensuing Annual General Meeting and is eligible for appointment. As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing, proposing candidature of Shri Amit Mehta for the Office of Director of the Company.

Except Shri Amit Mehta, being an appointee, none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 10.

The Board of Directors commends the resolution for approval of the Shareholders.

for Bharat Heavy Electricals Limited
-sd/-
(Rajeev Kalra)
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: September 18, 2020

1. The above addendum to the Notice of the ensuing 56th AGM with explanatory statement is also available on the websites of the Company (www.bhel.com), BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company's Registrar & Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited at https://evoting.karvy.com.
2. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 & May 5, 2020 and SEBI Circular dated May 12, 2020, the facility for remote e-voting and voting through electronic voting system during the AGM will be available to the Members in respect of the aforesaid resolution.